Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 10 अप्रैल, 2020

drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-10-april-2020

शौर्य दिवस

प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को देश में केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (Central Reserve Police Force-CRPF) का शौर्य दिवस मनाया जाता है, किंतु इस कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण इस वर्ष शौर्य दिवस का आयोजन नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि 9 अप्रैल, 1965 को CRPF की एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान ब्रिगेड के आक्रमण को विफल कर दिया था, इस दौरान कच्छ (गुजरात) के रण में CRPF ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम करते हुए 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था वहीं इस लड़ाई में CRPF के 6 जवान शहीद हुए थे। CRPF के जवानों की बहादुरी को हमेशा याद करने के लिये ही 9 अप्रैल के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (CRPF) भारत का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। CRPF की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटटिव्स पुलिस (Crown Representative Police) के रूप में 27 जुलाई 1939 को की गई थी। 28 दिसंबर, 1949 को CRPF अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का निर्माण किया गया था। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल के प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं- भीड़ पर नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, उग्रवाद का विरोध, विद्रोह को रोकने के उपाय, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, युद्ध की स्थिति में दुश्मन से लड़ना, सरकार की नीति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भाग लेना आदि।

ऑपरेशन शील्ड (Operation SHIELD)

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 'ऑपरेशन शील्ड' (Operation SHIELD) की घोषणा की है। शील्ड (SHIELD) का अर्थ है- सीलिंग (Sealing), होम क्वारंटाइन (Home Quarantine), आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग (Isolation and Tracing), एसेंशियल सप्लाई (Essential supply), लोकल सैनिटेशन (Local Sanitation) और डोर-टू-डोर चेक्स (Door-to-door Checks)। इस ऑपरेशन को राजधानी के 21 नियंत्रण क्षेत्रों में लागू किया जायेगा। इस ऑपरेशन के तहत सभी 21 क्षेत्रों तथा इसके आसपास के क्षेत्र को सील किया जाएगा, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा, लोगों के प्राथमिक और द्वितीय संपर्क का पता लगाया और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा, सरकार ने वस्तुओं की आवश्यक आपूर्ति का आश्वासन दिया है, स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों को सैनीटाइज़ किया जाएगा, इन क्षेत्रों में डोर-टू-डोर स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। ध्यातव्य है कि दिल्ली सरकार ने इससे पूर्व कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से मुकाबला करने के लिये 5T योजना लागू की थी। 5T योजना में परीक्षण (Testing), ट्रेसिंग (Tracing), टीमवर्क (Team Work), उपचार (Treatment) और ट्रैकिंग (Tracking) शामिल हैं।

'सेफ प्लस' ऋण

हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को 'सेफ प्लस' नाम से एक आपातकालीन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। इसके तहत कोरोनावायरस (COVID-19) से संबंधित चिकित्सा उपकरणों और उत्पादों के निर्माण में कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को 1 करोड़ रुपए तक की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना 2 अप्रैल, 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिये एवं इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई। SIDBI का गठन MSME के लिये ऋण प्रवाह को सुगम एवं सुदृढ़ बनाना तथा MSME पारितंत्र के वित्तीय एवं विकासपरक, दोनों प्रकार के अंतरालों की पूर्ति करने के उद्देश्य से किया गया था।

भारतीय खाद्य निगम

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) को निर्देश दिया है कि वह ओपन मार्केट सेल स्कीम (Open Market Sale Scheme-OMSS) के तहत ज़रूरतमंदों को पका हुआ भोजन देने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और धर्मार्थ संगठनों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए। FCI को दिये गए निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और धर्मार्थ संगठन ई-नीलामी के बिना FCI गोदामों से गेहूँ और चावल खरीद सकते हैं। चावल के लिये OMSS आरक्षित मूल्य 2,250 रुपए प्रति क्विंटल है और गेहूँ के लिये 2,135 रुपए प्रति क्विंटल है। भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) 'उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत वर्ष 1965 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है।